



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

फोन-(0135)-2970866, 2970867, फैक्स-(0135)-2970859, 2970865

Email : agaeuttarakhand@cag.gov.in, Website : www.agua.cag.gov.in



पत्रांक : 188 / प्रशा0-II / ए.जी.यू.के.(ले0एवंहक0) / ए0जी0टी0-2022 / 2021-2022 / 15

दिनांक 05.05.2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय में खण्डीय लेखाकार संवर्ग के कुछ कार्मिको से अनुरोध प्राप्त हो रहे है जिसमें कुछ कारणों का हवाला देते हुए अधिकारी एक स्टेशन में कुछ विशेष खण्ड में अपनी तैनाती के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सर्वविदित है कि कोई भी अधिकारी अपनी तैनाती हेतु 'Choice of station' दे सकता है न कि किसी स्टेशन के किसी विशेष खण्ड में तैनाती हेतु अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार से प्राप्त अनुरोध संदेहास्पद है एवं स्वीकार्य नहीं है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में किसी भी मामले में खण्डीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिको द्वारा तैनाती के लिए किसी विशेष डिवीजन का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। उक्त निर्देश का पालन नहीं करने पर सुसंगत नियमानुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हस्ता0/-

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

पत्रांक : 188 / प्रशा0-II / ए.जी.यू.के.(ले0एवंहक0) / ए0जी0टी0-2022 / 2021-22 / 15 दिनांक 05.05.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिवालय/महालेखाकार (प्रकोष्ठ), कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आई0टी0एस0जी0 अनुभाग को इस आशय से की वे उपरोक्त कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट में खण्डीय लेखाकार संवर्ग कार्नर में अपलोड करने की व्यवस्था करें।
4. समस्त खण्डीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिको को कार्यालय की वेबसाइट में खण्डीय लेखाकार संवर्ग कार्नर के माध्यम से सूचनार्थ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशासन -II